

26.07.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया, पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित।

विद्वान विशेष अभियोजक उपस्थित।

पत्रालवी वर्ष 2000 से लंबित चली आ रही है। अभियोजन की ओर से कुल एक ही साक्षी परीक्षित कराया गया है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अभियोजन को आदेशित किया जाता है कि वे नियत तिथि पर अपने साक्षीगणों को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करें।

पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन दिनांक-16.08.2023 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-6/
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर), प्रतापगढ़।